

अध्याय I: जीएसटी कार्यान्वयन

यह अध्याय माल एवं सेवा कर (जीएसटी) विवरणी तंत्र और इसके कार्यान्वयन की स्थिति सहित जीएसटी की विशेषताओं का अवलोकन प्रस्तुत करता है।

1.1 जीएसटी की पृष्ठभूमि

मूल्य वर्धित कर सिद्धांत पर आधारित व्यापक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पहली बार केलकर कार्य दल द्वारा दिसंबर 2002 में सुझाया गया था। भारत में जीएसटी की घोषणा पहली बार 2006-07 के केंद्रीय बजट में की गई थी। तब से मंत्रियों की सशक्त समिति ने जीएसटी और जीएसटी अधिनियम के मसौदे की पृष्ठभूमि तैयार करने पर काम किया था। सितंबर 2016 में संसद में संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके जीएसटी को कार्यान्वित किया गया, इसके बाद राज्य विधानसभाओं में पारित किया गया। और जीएसटी को 1 जुलाई 2017 (8 जुलाई 2017 से जम्मू और कश्मीर सहित) से लागू किया गया।

जैसा कि भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने 30 जून 2017 को संसद के केन्द्रीय हॉल से जीएसटी के शुभारंभ पर कहा, "जीएसटी केंद्र और राज्यों के बीच एक व्यापक सहमति का परिणाम है और भारत के लोकतंत्र की परिपक्वता और ज्ञान के लिए एक सम्मान है।

1.2 जीएसटी की अवधारणा

1.2.1 जीएसटी की परिभाषा

जीएसटी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर एक कर है और आपूर्ति के कुल मूल्य श्रृंखला निर्माता से उपभोक्ता तक एक कर है। प्रत्येक चरण में भुगतान किए गए इनपुट करों का क्रेडिट मूल्यवर्धन के बाद के चरण में उपलब्ध होगा, जो प्रत्येक चरण में जीएसटी अनिवार्य रूप से केवल मूल्यवर्धन पर कर बनाता है। इस प्रकार अंतिम उपभोक्ता आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम वितरक द्वारा लगाए गए कर, जिसमें पिछले सभी चरणों में सेट-ऑफ लाभ सहित, केवल जीएसटी को वहन करेगा।

जीएसटी एक उपभोग आधारित कर है यानी वह राज्य कर अर्जित करता है जहां माल और/या सेवाओं की खपत होती है।

1.2.2 सम्मिलित कर

जीएसटी में निम्नलिखित केंद्रीय और राज्य करों को सम्मिलित किया:-

सम्मिलित केंद्रीय कर	सम्मिलित राज्य कर
<ul style="list-style-type: none">● केंद्रीय उत्पाद शुल्क (पांच पेट्रोलियम¹ और तंबाकू उत्पादों को छोड़कर)● अतिरिक्त उत्पाद शुल्क● सेवा कर● अतिरिक्त सीमा शुल्क जिसे आमतौर पर प्रतिकारी शुल्क के रूप में जाना जाता है।● विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क।	<ul style="list-style-type: none">● राज्य मूल्य वर्धित कर (वैट) / बिक्री कर (मानव उपभोग के लिए पांच पेट्रोलियम उत्पादों और मादक शराब को छोड़कर)● मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए कर के अतिरिक्त)● केन्द्रीय बिक्री कर (केंद्र द्वारा लगाया गया और राज्यों द्वारा एकत्रित किया गया)● चुंगी और प्रवेश कर● खरीद कर● विलास टैक्स● लॉटरी, सट्टे और जुए पर कर

केन्द्रीय/राज्य उत्पाद शुल्क और वैट पांच पेट्रोलियम उत्पादों पर जारी रहेगा, जो जीएसटी परिषद की सिफारिश पर अधिसूचित किए जाने पर जीएसटी उदग्रहण के अधीन होगा। तंबाकू उत्पादों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और जीएसटी दोनों के अधीन किया जा सकता है। मानव उपभोग के लिए मादक शराब को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया था।

1.2.3 जीएसटी के घटक

जीएसटी के तीन घटक इस प्रकार हैं:-

- **केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी):** राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के अंदर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर केंद्र सरकार को देय।
- **राज्य / केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर (एसजीएसटी / यूटीजीएसटी):** राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के भीतर माल और सेवाओं की आपूर्ति पर राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार को देय।

¹ पेट्रोलियम कूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (सामान्यतः पेट्रोल के नाम से जाना जाता है) प्राकृतिक गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल

- **एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी):** वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति के मामले में, आईजीएसटी भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है। समान आईजीएसटी भारत में आयात पर भी लगाया जाता है। आईजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आईजीएसटी संघ और राज्यों के बीच बांटा जाएगा।
- **जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर:** जीएसटी के अलावा, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर नामक उपकर अधिसूचित वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जा सकता है और वर्तमान में इस तरह के उपकर को पान मसाला, तंबाकू, वातित पेय, कार और कोयले पर लगाया जाता है।

1.3 प्रमुख विधान

देश में माल और सेवा कर लागू करने के लिए संविधान (एक सौ बाईसवा संशोधन) विधेयक, 2016 को राज्यसभा ने 3 अगस्त, 2016 को और लोकसभा ने 8 अगस्त, 2016 को पारित किया गया था। तत्पश्चात भारत के राष्ट्रपति ने 8 सितंबर, 2016 को सहमति व्यक्त की और इसे संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के रूप में अधिसूचित किया।

1 जुलाई 2017 जीएसटी लागू करने के लिए निम्नलिखित अधिनियम पारित किए गए:-

- सीजीएसटी अधिनियम, 2017;
- यूटीजीएसटी अधिनियम, 2017,
- आईजीएसटी अधिनियम, 2017;
- जीएसटी (राज्यों की क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017

उपरोक्त अधिनियमों को 12 अप्रैल 2017 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किया गया और 1 जुलाई 2017 से² लागू किया गया। उपरोक्त के अलावा, प्रत्येक राज्य ने एसजीएसटी अधिनियम भी पारित किया है।

उपरोक्त सभी अधिनियमों को, सीजीएसटी संशोधन अधिनियम, 2018 और जीएसटी (राज्यों के लिए मुआवजा) संशोधन अधिनियम, 2018, आईजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधित किया गया। जो 29 अगस्त 2018 को अधिसूचित और 1 फरवरी 2019 से प्रभावी है।

² अनुच्छेद 370 के मद्देनजर जम्मू और कश्मीर अधिनियम के विस्तार के रूप में ये अधिनियम राज्य द्वारा पास करने के बाद 8 जुलाई 2017 से जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू है।

1.4 जीएसटी के नए घटक

जीएसटी में पेश किए गए कुछ उल्लेखनीय कारक, जो पूर्व-जीएसटी काल में नहीं थे, नीचे दिए गए हैं:-

1.4.1 जीएसटी परिषद

भारत के संविधान के अनुच्छेद 279A (1), के अनुसार, जैसा कि संशोधन किया गया, भारत के राष्ट्रपति ने 12 सितम्बर, 2016 से जीएसटी परिषद का गठन किया। जीएसटी परिषद से संबंधित मुद्दों पर संघ और राज्य सरकारों को सिफारिशें करने के लिए परिषद एक संवैधानिक निकाय है। जीएसटी परिषद, केंद्र और राज्यों के संयुक्त मंच, की अध्यक्षता केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है और सदस्य प्रत्येक राज्य द्वारा नामित केन्द्रीय राज्य मंत्री या वित्त मंत्री होते हैं और वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या अन्य मंत्री होते हैं।

अनुच्छेद 279 ए (4) के अनुसार, परिषद संघ और राज्यों को सिफारिशें करेगी:-

- क) संघ, राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए करों, उपकरणों और अधिभार को जीएसटी में शामिल किया जा सकता है;
- ख) जिन वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी से मुक्त किया जा सकता है, या उन्हें छूट दी जा सकती है;
- ग) मॉडल जीएसटी कानून, करारोपण के सिद्धांत, अंतर-राज्य व्यापार आपूर्ति पर लगाए गए जीएसटी का विभाजन और आपूर्ति के स्थान (पीओएस) को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत;
- घ) उनके न्यूनतम टर्नओवर की सीमा जिनके लिए वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी से मुक्त किया जा सकता है;
- ङ) जीएसटी के बैंड के साथ निचली दरों सहित दरें;
- च) किसी भी प्राकृतिक आपदा या विपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए निर्दिष्ट अवधि के लिए कोई विशेष दर या दरें;
- छ) अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान; तथा
- ज) जीएसटी से संबंधित कोई अन्य मामला, जो कि परिषद तय कर सकती है।

इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करते समय, जीएसटी परिषद को वस्तुओं और सेवाओं के सामंजस्यपूर्ण ढांचे की आवश्यकता और वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय बाजार के विकास के लिए निर्देशित किया जाएगा।

1.4.2 वस्तु और सेवाकर नेटवर्क

वस्तु एंड सेवा कर तंत्र (जीएसटीएन) 28 मार्च 2013 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर-सरकारी कंपनी और एक 'नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन' के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसका गठन केंद्र और राज्य सरकारों, करदाताओं और अन्य हितधारकों को जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए समान और साझा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) आधारभूत ढाँचा और सेवाएँ प्रदान करने के लिए किया गया था।

भारत सरकार के पास जीएसटीएन में 24.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है और दिल्ली और पुदुचेरी के एनसीटी सहित भारतीय संघ के सभी राज्यों में और परिषद की 24.5 प्रतिशत की अलग हिस्सेदारी है। शेष 51 प्रतिशत हिस्सेदारी गैर-सरकारी वित्तीय संस्थानों के पास है। जीएसटीएन को मई 2018 में पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय पर आगे की कार्यवाही सरकार द्वारा की जानी थी।

इस रिपोर्ट के अध्याय III में उद्देश्यों और संगठनात्मक संरचना का विस्तृत विवरण किया गया है।

1.4.3 करदाताओं का आपसी सशक्तिकरण और वितरण

जीएसटी के तहत, करदाताओं को प्रत्येक राज्य में अलग पंजीकरण प्राप्त करना होगा जहां वे काम करते हैं। प्रत्येक पंजीकरण के तहत जीएसटी (अर्थात् सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी) के सभी करों का भुगतान करने के लिए एक एकल चालान बनाया जाता है और केंद्र और राज्य दोनों करों के लिए एक एकल विवरणी दाखिल किया जाता है।

इस दोहरे नियंत्रण के मद्देनजर, जीएसटी अधिनियम जीएसटी के सभी घटकों सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी को प्रशासित करने के लिए केंद्र और राज्य कर अधिकारियों को आपसी सशक्तिकरण प्रदान करते हैं। कर अधिकारी करदाताओं या उन्हें आवंटित विशिष्ट क्षेत्रों के संबंध में जीएसटी के सभी घटकों के प्रशासन का संचालन करते हैं। जबकि राज्य वाणिज्यिक कर विभाग राज्यों को प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी है,

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और इसके क्षेत्रीय कार्यालय केंद्र को सौंपे गए कार्यों के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं।

20 सितंबर 2017 को जीएसटी परिषद के परिपत्र के अनुसार, एकल इंटरफेस सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य के बीच राज्य में पंजीकृत करदाता आधार के विभाजन के लिए निम्नलिखित मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए:-

- क) ₹ 1.5 करोड़ से नीचे टर्नओवर के करदाताओं की कुल संख्या में से करदाताओं के 90 प्रतिशत से अधिक सभी प्रशासनिक नियंत्रण राज्य³ कर प्रशासन और 10 प्रतिशत केंद्रीय कर प्रशासन के साथ निहित होंगे;
- ख) ₹ 1.5 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वाले करदाताओं के संबंध में, सभी प्रशासनिक नियंत्रण केंद्र और राज्य कर प्रशासन के लिए प्रत्येक 50 प्रतिशत के अनुपात में समान रूप से विभाजित किये जाएंगे;
- ग) प्रत्येक राज्य में करदाताओं का विभाजन कंप्यूटर द्वारा स्तरीकृत एच्छक नमूनाकरण के आधार पर राज्य स्तर पर किया जाएगा और करदाताओं की भौगोलिक स्थिति और प्रकार को भी ध्यान में रखा जा सकता है, जैसी भी पारस्परिक रूप से सहमति हो।

राज्य कर अधिकारियों को आईजीएसटी और सीजीएसटी का प्रतिदाय देने के लिए (अक्टूबर 2017) में अधिकार⁴ दिया गया और इसी तरह राज्यों में निर्देशों में केंद्रीय कर अधिकारियों को एसजीएसटी का प्रतिदाय देने का अधिकार देने के निर्देश राज्यों में दिये गये हैं। जीएसटी परिषद ने अपनी 9 वीं बैठक (16 जनवरी 2017) में सिफारिश की कि केंद्र और राज्य दोनों कर प्रशासनों के पास संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के संबंध में अन्वेषण-आधारित प्रवर्तन कार्रवाई करने की शक्ति होगी और सीबीआईसी ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को डीओ⁵ पत्र (अक्टूबर 2018) के माध्यम से इस निर्णय को लागू किया।

³ जम्मू और कश्मीर को छोड़कर जहां ₹ 1.5 करोड़ से नीचे के सभी करदाता राज्य को आवंटित थे।

⁴ अधिसूचना सं.11/2017-एकीकृत कर और सं.39/2017-केंद्रीय कर दोनों 13 अक्टूबर 2017 द्वारा।

⁵ डीओएफ सं. सीबीआईसी/20/43/01/2017-जीएसटी (पीटी.) दिनांक अक्टूबर 2018।

1.4.4 जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजा

16 सितंबर 2016 से प्रभावी संविधान संशोधन अधिनियम ने यह प्रावधान किया है कि संसद को जीएसटी परिषद की सिफारिश पर, पांच साल तक की अवधि के लिए जी.एस.टी. कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजा प्रदान करना चाहिए। इन प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 पारित किया गया। इस अधिनियम ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के उद्देश्य से उपकर लगाने का भी प्रावधान किया।

आधार वर्ष (2015-16) से जीएसटी में शामिल किए गए करों / शुल्कों से संबंधित राजस्व में 14 प्रतिशत अधिक राजस्व प्राप्त करने वाले किसी भी कमी के लिए राज्यों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। राजस्व में कमी एसजीएसटी संग्रह (एसजीएसटी के साथ-साथ आईजीएसटी के रूप में एकत्र किए गए एसजीएसटी के रूप में एकत्र) और जीएसटी में शामिल राज्य करों के बकाया के संग्रह को ध्यान में रखकर पूरी की जानी थी। जीएसटी क्षतिपूर्ति दो महीने में देय है और इसकी अंतिम राजस्व आंकड़ों की प्राप्ति के बाद हर वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम रूप से गणना की जानी चाहिए, जैसा कि सीएजी द्वारा ऑडिट किया गया हो।

1.4.5 मुनाफाखोरी के विरुद्ध

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 171 में यह निर्धारित किया गया है कि पूर्व-जीएसटी कर दरों की तुलना में वस्तुओं या सेवाओं की किसी भी आपूर्ति पर जीएसटी की दर में कमी, या आईटीसी के लाभ को कीमतों में कमी के माध्यम से प्राप्तकर्ता को दिया जाना चाहिए। विशिष्ट वस्तु या सेवा हेतु कर की दर में कमी के बावजूद विभिन्न साधनों द्वारा वस्तु या सेवा के अंतिम मूल्य में जान बूझकर परिवर्तन न करना 'मुनाफाखोरी' होगा। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 में मुनाफाखोरी से संबंधित शिकायतों की जांच और स्थगन के लिए 3-स्तरीय संरचना प्रदान की गई।

- राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण
- मुनाफाखोरी-रोधी उपाय महानिदेशालय
- राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समितियाँ और स्थायी समिति

जीएसटी की दर में कमी के बावजूद किसी भी उपभोक्ता या संगठन को वस्तुओं या सेवाओं की कीमत में कमी का अनुभव करने वाले व्यक्ति उचित शिकायतों के साथ शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

कोई भी आपूर्तिकर्ता, व्यापारी, थोक व्यापारी या खुदरा विक्रेता, जिन्हें जीएसटी की दर में कमी के कारण आईटीसी का लाभ नहीं मिल सका, वे भी उचित साक्ष्य के साथ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। प्राधिकरण सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 171 के प्रावधानों के किसी भी कथित उल्लंघन पर अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या किसी भी इच्छुक दल जैसा कि सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 137 (सी), में इसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा परिभाषित व्यक्ति निकाय, संघ या एक संदर्भ पर किया गया है; प्राधिकरण उस तिथि से दो साल की समाप्ति के बाद अस्तित्व में रहेगा जिस दिन अध्यक्ष अपने कार्यालय में प्रवेश करता है जब तक कि परिषद अन्यथा की सिफारिश नहीं करता।

1.4.6 अखिल भारतीय स्तर पर ई-वे बिल का लागू होना

जीएसटी लागू होने के बाद, बिना किसी बाधा के पूरे भारत में माल की त्वरित और आसान आवाजाही के लिए, देश भर के सभी चेक पोस्ट को समाप्त कर दिया गया है। देश भर में सामानों की परेशानी मुक्त आवाजाही के लिए प्रदान करते हुए, वाहन प्रभारी द्वारा कार्य करके ई-वे (इलेक्ट्रॉनिक) बिल में एक इलेक्ट्रॉनिक बिल की परिकल्पना की गई है, ई-वे बिल प्रणाली, एक वेब आधारित समाधान है, जिसे 1 अप्रैल 2018 से सभी अंतर-राज्य आपूर्ति के लिए राष्ट्रव्यापी शुरू किया गया है और ₹50,000 मूल्य से अधिक माल की आवाजाही के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। अंतरराज्यीय आपूर्ति के संबंध में, राज्यों को 3 जून 2018 को या उससे पहले किसी भी तारीख को चुनने के लिए दिया गया था। सभी राज्यों ने अंतर राज्यीय आपूर्ति के लिए ई-वे बिल नियमों को अधिसूचित किया है, आखिर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जहां इसे 16 जून 2018 से आरंभ किया गया था। अलग-अलग राज्यों द्वारा अंतर-राज्य आपूर्ति के लिए ई-वे बिल बनाने के लिए अलग-अलग न्यूनतम सीमाएं तय की गई हैं।

1.5 केंद्रीय प्रशासनिक संरचना

वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के राजस्व विभाग (डीओआर) सचिव (राजस्व) के समग्र निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करता है और सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघ करों से संबंधित मामलों को केंद्रीय राजस्व अधिनियम, 1963 के तहत गठित दो सांविधिक बोर्डों नामतः केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

(सीबीआईसी⁶), और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के माध्यम से संबंधित करता है। जो जीएसटी रोपण वे उद्ग्रहण से सम्बंधित मामले सीबीआईसी द्वारा देखे जाते हैं। सीबीआईसी अपने क्षेत्रीय कार्यालयों जिसे कमिश्नरी कहा जाता है, द्वारा अप्रत्यक्ष कर कानून प्रशासित करवाता है।

जीएसटी के कार्यान्वयन के मद्देनजर, सीबीआईसी ने प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त के नेतृत्व में जीएसटी के 21 क्षेत्रों में अपने क्षेत्र कार्यालयों का पुनर्गठन 16 जून 2017 के परिपत्र द्वारा किया गया। जीएसटी के इन 21 क्षेत्रों के तहत प्रधान आयुक्त / आयुक्त की अध्यक्षता में 107 जीएसटी करदाता सेवा कमिश्नरी हैं जो जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क का कार्य देखते हैं। डिवीजन और रेंज क्रमशः बाद के प्रारूप हैं, जिसके प्रमुख क्रमशः उप / सहायक आयुक्त और अधीक्षक हैं। इन कमिश्नरी के अलावा, विशिष्ट कार्यों से निपटने के लिए 49 जीएसटी अपील कमिश्नरी, 48 जीएसटी लेखापरीक्षा कमिश्नरी और 22 निदेशालय जैसे सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए महानिदेशक (प्रणाली) और प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए महानिदेशक, एनएसीएन हैं।

1.6 जीएसटी के उद्देश्य

यह परिकल्पित किया गया था कि जीएसटी एकल कर में वर्तमान में केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा उद्ग्रहित किये जा रहे अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित किया जाएगा, करों के सौपान को कम किया हो तथा वस्तु और सेवा हेतु सामान्य राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध हो। जीएसटी कर व्यवस्था को सरल बनाया जाना भी अपेक्षित था और इसके परिणामस्वरूप सुदृढ़ आईटी आधार भूत संरचना के कारण बेहतर कर अनुपालन और एक गैर-अंतर्वेधी ई-कर प्रणाली प्राप्त हुई। मूल्य संवर्धन की कड़ी में एक स्तर से दूसरे स्तर पर निवेश कर क्रेडिट के समेकित स्थानांतरण के कारण, जीएसटी को अपने प्रारूप में अंतर्निहित तंत्र विकसित करना था जिससे व्यापारी द्वारा कर अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा।

1.6.1 इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तंत्र

जीएसटी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मुख्य तंत्र थे:

- बहुल केंद्रीय और राज्य करों की एकरूपता

⁶ पूर्व में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीइसी)।

- बहल कर दरों को समाप्त करके कर संरचना को सरल बनाना और सरल प्रारूपों और प्रक्रियाओं को प्रारंभ करना।
- कर दाता के लिए एकल आईटी इंटरफेस और आईटी आधारित कर प्रशासन उपलब्ध कराते हुए आईटी प्रणाली के मूल को विकसित कर रहे आईटीसी क्रेडिट के प्रणाली सत्यापित समेकित प्रवाह के साथ आईटी समर्थित अनुपालन।

1.6.2 परिकल्पित तंत्र की कार्यान्वयन स्थिति


जीएसटी के प्रभावी होने के पहले महीने के अंत तक (यानी 31 जुलाई 2017 तक), केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट से 63.9 लाख करदाताओं को जीएसटी पोर्टल में माइग्रेट किया गया था और नए पंजीकरण के लिए 10.9 लाख करदाताओं ने आवेदन किया। कर भुगतान कार्यक्षमता जीएसटी प्रभावी करने की तारीख यानी 1 जुलाई 2017 से जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध थी। जीएसटी प्रथम महीने अर्थात् जुलाई 2017 में ₹ 92,283 करोड़ की जीएसटी संग्रहण राशि एकत्र की गई जिसमें सीजीएसटी के ₹ 14,894 करोड़, एसजीएसटी के ₹ 22,722 करोड़, आईजीएसटी के ₹ 47,469 करोड़ तथा ₹ 7,198 करोड़ जीएसटी प्रतिउपकर उप कर शामिल थे।

51.4 प्रतिशत करदाताओं ने जुलाई 2017 के लिए जीएसटीआर -3 बी विवरणी नियत तारीख (28 अगस्त 2017) पर दाखिल की। 1 सितंबर 2017 तक पोर्टल पर मासिक विवरणी जीएसटीआर-1 और 2 जारी की गई।

किन्तु रिपोर्ट के स्वरूपों में परिवर्तन किए गए थे। विभिन्न प्रमुख गतिविधियों के लिए नियत तारीखों को स्थगित कर दिया गया था और जीएसटीआर -2 और 3 को लम्बित रखा गया है। ये परिवर्तन विभिन्न कारकों जैसे कि जीएसटी पोर्टल पर प्रारूपों की जटिलता या तकनीकी गड़बड़ी या हितधारकों की तैयारियों में कमी और इन परिवर्तनों के कारण उत्पन्न परिवर्तनों के कारण थे। नतीजतन, जीएसटी प्रणाली अभी भी एक प्रगतिशील प्रणाली है, जिसमें लगभग दो साल बाद भी संपूर्ण विवरणी तंत्र के साथ बड़े बदलाव किए जा रहे हैं:-

चार्ट सं.1 जीएसटी के उद्देश्यों को परिकल्पित तंत्र से मैप करता है व उनके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति को बताता है।

चार्ट 1: जीएसटी के उद्देश्य, उपलब्धियों की सीमा और फॉल आउट



जैसा चार्ट सं.1 में चर्चा की गई है, जीएसटी के तहत परिकल्पित तंत्र की स्थिति निम्नलिखित है।

(क) बहुल कर

बहुल करों को समेकित करने का उद्देश्य आईटीसी समर्थित मूल्य श्रृंखला के साथ में 37 विभिन्न केंद्रीय और राज्य करों को जीएसटी में समेकित कर अधिकतर रूप से प्राप्त कर लिया गया है। मुख्य उत्पाद, जैसे पेट्रोलियम उत्पाद जब जीएसटी परिषद द्वारा निर्णय दिया जाता है, को सम्मिलित करने के लिए सैवधानिक संशोधन में प्रावधान के साथ केवल कुछ सामान/क्षेत्रों का जीएसटी से बाहर रखा गया है।

(ख) कर संरचना

जीएसटी ने एक संरचना उपलब्ध कराई है जिसमें समान वस्तु या सेवा सभी राज्यों में एक समान कर दर के अंतर्गत है। अब 28% में कुछ एश्वर्य और भोग विलासिता सामान जैसे कार, तंबाकू उत्पाद, पान मसाला और वातित पेय जो कि आगे जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के अंतर्गत है; सहित चार मुख्य कर स्तर (5%, 12%, 18%, और 28% कर दरों) हैं। वस्तु और सेवाओं पर जीएसटी दरों की एक संकेतक सूची **परिशिष्ट-1** में दी गई है।

कुछ ऐसे उत्पाद हैं जहां एकसमान प्रकृति वाली समान वस्तुओं या सेवाओं की (अर्थात् समान एचएसएन/एसएसी कोड) उत्पाद की प्रकृति या उत्पाद के इकाई मूल्य के आधार पर बहुल कर दरें होती हैं। जैसा कि नीचे तालिका सं. 1 में व्याख्या की गई है:

तालिका सं.1 वस्तु/सेवा की उक्त श्रेणी पर बहुल कर दरे

जूते	₹ 1000 तक	5 प्रतिशत
	₹ 1000 और से अधिक	12 प्रतिशत
फाइबर	सिल्क और जूट	शून्य
	कॉटन और प्राकृतिक	5 प्रतिशत
	मानव निर्मित	18 प्रतिशत
रेडीमेड परिधान	₹ 1000 से नीचे की कीमत पर	5 प्रतिशत
	₹ 1000 और ऊपर	12 प्रतिशत
होटल और लॉज	टैरिफ	
	₹ 1000 से कम	शून्य
	₹ 1000 - ₹ 2500	12 प्रतिशत
	₹ 2500 - ₹ 7500	18 प्रतिशत
	₹ 7500 और से ऊपर	28 प्रतिशत

उपरोक्त तालिका से, यह देखा गया कि एक ही प्रकृति की वस्तुओं या सेवाओं को कई कर दरों के अंतर्गत रखा गया है।

अपनी विभिन्न बैठकों के माध्यम से जीएसटी काउंसिल ने समय-समय पर स्लैब और दर संरचना की समीक्षा की। जीएसटी की स्थापना के बाद से, सीबीआईसी ने क्रमशः 2017, 2018 और 2019 (31 मार्च 2019 तक) में सीजीएसटी दरों को बदलने से संबंधित 47, 30 और 9 अधिसूचनाएं जारी कीं। इसी तरह, 2017, 2018 और 2019 में (क्रमशः 31 मार्च 2019 तक) आईजीएसटी दरों को बदलते हुए 50, 31 और 8 अधिसूचनाएँ जारी की गईं।

इस प्रकार, यद्यपि कर दर संरचना को पूर्व-जीएसटी यूग की तुलना में सरल बना दिया गया है, इसको सरल किये जाने के आगे भी काफी संभावना है।

(ग) विनिर्दिष्ट विवरणीयां

जीएसटी में, कर दाता को सभी जीएसटी करों जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर हेतु केवल एक विवरणी फाईल करनी पड़ती है। जीएसटी में विवरणी तंत्र की आधार भूत विशेषताओं में विवरणी की इलेक्ट्रॉनिक दाखिला, बीजक स्तर सूचना को अपलोड करने, प्राप्तकर्ता को आपूर्तिकर्ता से विवरणी से आईटीसी के संबंध में सूचना का

स्व-संचालन परिकल्पित किया गया है। विवरणी तंत्र को फाईल विवरणी और आईटीसी प्राप्त करने के लिए कर दाता को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। **परिशिष्ट-II** में जीएसटी में निर्दिष्ट विभिन्न विवरणी का विवरण दिया गया है।

जीएसटी परिषद ने घोषणा की (जुलाई 2018) कि एक नये सरलीकृत विवरणी तंत्र को 1 जनवरी 2019 से लागू किया जाएगा। ये नये सरलीकृत प्रारूप को अभी भी (जून 2019) शुरू किया जाना था। विवरणी को सरल करने की आवश्यकता यह दर्शाती है कि आरंभ में तैयार किये फार्म और सहायक आईटीसी विशेषताएं सरलीकृत कर व्यवस्था के उद्देश्यों के अनुसार नहीं थी।

(घ) आईटीसी का तंत्र सत्यापित सम्मिलित प्रवाह


आईटीसी का तंत्र सत्यापित सम्मिलित प्रवाह को जीएसटीआर 1, 2 और 3 विवरणी द्वारा प्राप्त किया जाना परिकल्पित किया गया था। वास्तविक रूप से इसे परिकल्पित किया गया था ताकि आपूर्तिकर्ता जीएसटीआर-1के द्वारा महीने के दौरान उनके द्वारा जावक आपूर्ति के बीजक-वार विवरण फाईल करें। जीएसटीआर-1 में आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई जावक आपूर्ति के विवरण जीएसटीआर-2ए फार्म से पंजीकृत प्राप्तकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराये गये थे। इसी प्रकार, संरचना डीलर्स, इनपुट सर्विस वितरक और गैर-आवासीय करदाता के साथ-साथ सरकारी विभाग/एजेंसियों द्वारा स्रोत पर (टीडीएस) काटे गये कर के संबंध में आपूर्तियों के समान विवरण प्राप्तकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराये गये थे। इसलिए, फार्म जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध विवरण के आधार पर, कर दाता को अन्य आवक आपूर्तियों के विवरण जोड़ने के बाद जीएसटीआर फार्म प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था।

अपने फार्म जीएसटीआर-2 में प्राप्तकर्ता द्वारा जोड़ी गई, सुधारी गई या खत्म की गई आवक आपूर्तियों के विवरण समान पोर्टल द्वारा जीएसटीआर-1ए फार्म में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपूर्तिकर्ता को उपलब्ध कराये गये थे। आपूर्तिकर्ता द्वारा सुधार या तो स्वीकृत या निरस्त किये जा सकते हैं और आपूर्तिकर्ता द्वारा पहले से प्रस्तुत किया फार्म जीएसटीआर-1 उनके द्वारा स्वीकृत सुधारों की सीमा तक संशोधित किया जाना चाहिए।

जीएसटीआर-3 जीएसटी देयता की राशि के साथ महीने के दौरान बिक्री और खरीद के विवरण सहित एक मासिक विवरणी है। अधिकतर जीएसटीआर-3 का जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 से स्वतः जनित होना अपेक्षित था जबकि करदाता को इलेक्ट्रॉनिक नकद लैजर से दावाकृत कर, ब्याज, शक्ति, प्रतिदाय

की देयता तथा जीएसटीआर-3 फाईल करते समय इलेक्ट्रॉनिक नकद/क्रेडिट लैजर में डेबिट प्रविष्टियों के शोधन के विवरण शामिल करने होते हैं। डेटा का प्रवाह और जीएसटी मासिक विवरणी में विवरण का स्वतः तैयार होना, जैसा वास्तव में परिकल्पित किया गया था, को नीचे चार्ट सं. 2 में चित्रात्मक रूप से दर्शाया गया है।

चार्ट सं.2: वास्तविक रूप से परिकल्पित जीएसटी विवरणी



एनबी: इसी प्रकार, सरकारी विभाग/एजेंसियों द्वारा कंपोजीशन डीलर्स, गैर-आवासीय करदाता, इनपुट सेवा वितरक, स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस) व ई-कॉमर्स संचालकों द्वारा टीडीएस क्रमशः जीएसटीआर-4, 5, 6, 7 और 8 को दर्शाते हुए आपूर्ति प्राप्तकर्ता की जीएसटीआर-2 में स्वतः तैयार होना था। उपरोक्त चार्ट में केवल जीएसटीआर-1 को उदाहरण के रूप में दर्शाया गया है।

यद्यपि, यह प्रणाली वास्तविक रूप से परिकल्पित और रचित की गई थी, इन मुख्य विवरणी की तिथियों को सिस्टम शीघ्रता के संबंध में व्यापार की सुगमता की कमी और बताई गई आशंका उदघृत करते हुए जीएसटी को आरंभ करने से प्रंद्रह दिन पहले लम्बित कर दिया गया था, जैसाकि 18 जून 2017 को हुई 17वीं जीएसटी बैठक में सूचना दी गई थी। जीएसटी की उक्त बैठक में परिषद को यह सूचना भी दी गई थी कि यद्यपि सिस्टम को 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को रॉलआऊट के लिए तैयार थे, व्यापार और उद्योग विशेषतः बैंकिंग, नागरिक उड्डयन और टेलीकॉम क्षेत्र ने सिस्टम की स्थिरता और सुदृढ़ता के बारे में स्वयं को सुपरिचित करने और आश्वासन देने के लिए सिस्टम की जांच के लिए अधिक समय के लिए अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि यद्यपि जीएसटीएन तैयार था, बड़े व्यापार और उनके उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) सॉफ्टवेयर तैयार नहीं था और

जीएसटी सुविधा प्रदाता (जीएसपी) सॉफ्टवेयर की जांच करने के लिए समय की आवश्यकता है।

हालांकि यह मत न्यायसंगत नहीं है। जीएसटीएन का गठन मार्च 2013 में किया गया था, जीएसटी में लाने के लिए संविधान संशोधन सितंबर 2016 में पारित किया गया था और जनवरी 2017 में घोषणा की गई थी कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू किया जाएगा। संविधान संशोधन पारित होने से पहले, मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसीएम) ने मॉडल जीएसटी अधिनियमों और व्यापार प्रक्रियाओं पर काम करना शुरू कर दिया था और प्रथम मॉडल जीएसटी अधिनियम जून 2016 में सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। अप्रैल 2015 से अक्टूबर 2015 के दौरान पंजीकरण, भुगतान, पंजीकरण और प्रतिदाय पर व्यावसायिक प्रक्रिया दस्तावेजों को भी सार्वजनिक ज्ञानक्षेत्र में रखा गया था। जीएसटी मॉडल कानून नवंबर 2016 तक तैयार किए गए थे और अप्रैल 2017 में संसद द्वारा अधिनियम पारित किये गये थे। विवरणी, पंजीकरण, भुगतान, प्रतिदाय, बीजक पर ड्राफ्ट कानून नियम शुरू में सितंबर 2016 में तैयार किए गए थे और ड्राफ्ट नियमों के अगले संस्करण को आईटीसी, पारगमन, मूल्यांकन और संरचना को जोड़ने के लिए मार्च 2017 में अंतिम रूप दिया गया था और मई 2017 में परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। ड्राफ्ट प्रपत्र (बीजक, भुगतान, पंजीकरण, प्रतिदाय, वापसी और बेमेलता) को सितम्बर 2016 में अंतिम रूप दिया गया था तथा इसके अतिरिक्त संरचना, आईटीसी, भुगतान प्रतिदाय और पंजीकरण को कवर करते हुए ड्राफ्ट प्रपत्र के सेट का मई 2017 में अंतिम रूप दिया गया था। 19 जून 2017 को अंतिम रूप से तैयार किये गये नियम और फार्म अधिसूचित किये गये।


जीएसटी एक प्रमुख कर सुधार है और सरकार ने अपनी ईच्छा को स्पष्ट कर दिया था कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से शुरू किया जाएगा। इन परिस्थितियों में, यह उम्मीद की गई थी कि सिस्टम डिजाइन को अग्रिम रूप से अच्छी तरह से मजबूत किया जाएगा या सिस्टम परिवर्तनों का ध्यान रखने के लिए पर्याप्त मजबूत होगा। प्रारूपों की सरलता और व्यापार करने में आसानी बुनियादी आवश्यकताएं थी। हालांकि यह देखा गया था कि नियमों और प्रारूपों को शुरू करने की तिथि तक अंतिम रूप दिया गया था और व्यवसाय दर्शाते हैं कि वे रोल आउट के लिए तैयार नहीं थे। जीएसटी पोर्टल को भी व्यापक परीक्षणों के बिना तैयार होने का अनुमान लगाया गया था कि इस तरह के अखिल भारत प्रणाली की आवश्यकता थी।

जीएसटी परिषद ने उद्योग और जीएसपी की तैयारी की कमी को देखते हुए दो महीने के लिए एक सरल अस्थायी उपाय जीएसटीआर-3बी को मंजूरी (जून 2017) दे दी। जीएसटीआर-3बी को एक स्वयं-मूल्यांकन सारांश विवरणी के रूप में डिजाइन किया गया था जिसमें जावक आपूर्ति और आवक आपूर्ति का सारांश विपरित प्रभार के प्रति देय था। आईटीसी का निपटान करदाताओं द्वारा दायर किए गए इन स्व-मूल्यांकन सारांश विवरणी के आधार पर किया जा रहा था। शुरू में दो महीने के लिए शुरू की गई यह अस्थायी विवरणी आज तक जारी है और जीएसटीआर-2 और 3 को स्थगित कर दिया गया है। परिणामस्वरूप सिस्टम सत्यापित आईटीसी और बीजक मिलान का मुख्य तंत्र प्राप्त नहीं किया गया था। आज तक सारांश विवरणी में करदाता द्वारा रिपोर्ट किए गए आईटीसी का उपयोग आगे के लेन-देन के लिए किया जाता है।

जुलाई 2018 में, अर्थात् जीएसटीआर-3बी को जीएसटीआर-2 और 3 को लम्बित रखने के एक साल बाद, जीएसटी परिषद ने घोषणा की कि 1 जनवरी 2019 से एक नया सरलीकृत विवरणी तंत्र लागू किया जाएगा। नये विवरणी तंत्र को अभी अंतिम रूप से आरंभ (जून 2019) किया जाना है, जो एक अस्थायी उपाय के रूप में जीएसटीआर-3बी को लागू करने के दो साल बाद हुआ है। एक संशोधित विवरणी तंत्र तैयार करने में देरी के साथ, सारांश विवरणी जीएसटीआर-3बी, जो एक स्वयं-उदघोषणा हैं, सत्यापित चालानों के आधार पर सिस्टम जनित विवरणी की अपेक्षा जीएसटी के आरंभ होने के बाद से जारी है।

स्थगित की गई प्रक्रियाओं और विवरणों को विवरणी की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाले प्रवाह चार्ट सं. 3 में लाल रंग से दर्शाया गया है।

चार्ट सं.3: मुख्य जीएसटी विवरणी की वर्तमान स्थिति



वर्तमान में, आईटी सिस्टम केवल जावक आपूर्ति को प्राप्त करता है, जैसा कि जीएसटीआर 1 में आपूर्तिकर्ता द्वारा दाखिल किया जाता है; जिसे जीएसटीआर-2ए में प्राप्तकर्ता द्वारा देखा जा सकता है। जीएसटीआर-1ए और 2 और मासिक विवरणी जिसे जीएसटीआर-3 के माध्यम से प्राप्तकर्ता द्वारा बीजक विवरण के मिलान द्वारा आपूर्ति के सत्यापन और सुधार की आगे की प्रक्रियाओं को स्थगित रखा गया है।

घटनाओं का अनुक्रम स्पष्ट रूप से मूल विवरणियों के प्रारूप व रचना की जटिलता इंगित करता है।

(ड) जीएसटीआर-2 और 3 को स्थगित करने के प्रभाव

- **असत्यापित आईटीसी**

कर दाता द्वारा दावा किये गये आईटीसी तंत्र सत्यापित नहीं किया गये थे और आईटीसी खाता करदाताओं द्वारा दायर स्व-मूल्यांकन सारांश मासिक विवरणी (जीएसटीआर -3बी) से प्राप्त गैर-सत्यापित आईटीसी के आधार पर स्वयं तैयार हो रही थी।

- **स्वयं-नियामक तंत्र न होना**

चूंकि आईटीसी और मासिक विवरणी सिस्टम-सत्यापित विवरणों पर आधारित नहीं थे, इसलिए स्व-नियामक प्रणाली लागू नहीं की गई है। इसके अलावा, मूल रूप से परिकल्पित विवरणी तंत्र में, यह सत्यापित किया जा सकता था कि आपूर्तिकर्ताओं ने अपने समग्र कर देयता का भुगतान किया है जैसा कि जीएसटीआर-3 में मिलान किये गये जावक और आवक आपूर्ति से जारी होता है, क्योंकि करदाता को जीएसटीआर-3 दाखिल करते समय भुगतान विवरण प्रस्तुत करना पड़ता था। इस तरह की कोई जांच सारांश स्व-मूल्यांकन जीएसटीआर-3बी में नहीं की जा सकती है।

- **विवरणी की हस्तगत जांच**

स्व-नियामक प्रणाली के अभाव में, उपलब्ध डेटा सेटों की प्रति जांच करने और मैनुअल रूप में निर्धारितियों से जानकारी या स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए कर विभागों द्वारा डेटा विश्लेषण और व्यवसाय आसूचना उपकरणों का

उपयोग किया जा रहा था। इससे जीएसटीआर 1 और 3बी के साथ-साथ ई-वे बिल डेटा में उपलब्ध डेटा का उपयोग करके बीआई टूल्स और डेटा निवृत्तियों के आधार पर कर अधिकारियों द्वारा दावों की हस्तगत जांच की गई है। यह करदाताओं के लिए भी नुकसानदेह है क्योंकि उन्हें अपने आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दायर जीएसटीआर-1 में विवरण प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता है, जबकि ऐसी जानकारी का उपयोग सत्यापन के लिए किया जा रहा है।

- **मुख्य सुरक्षा उपायों के बिना सिस्टम को शुरू किरने को असुरक्षित बना दिया**

आईटीसी का दावा करने के लिए नकली बीजक के उपयोग सहित कुछ करदाताओं द्वारा किए गए धोखाधड़ी आईटीसी दावों का पता लगाने की कई रिपोर्टें थीं। इस प्रकार, किसी भी अन्य सुरक्षा उपायों या प्रभाव मूल्यांकन के बिना, मूल रूप से परिकल्पित प्रमुख नियंत्रण तंत्र को वापस लेते हुए जीएसटी आईटी प्रणाली को आंशिक रूप से आरंभ करने से सिस्टम को असुरक्षित बना दिया।

- **वार्षिक विवरणी पर प्रभाव**

वार्षिक विवरणी में जावक और आवक आपूर्ति के विवरण, विवरणी में घोषित आईटीसी और कर भुगतान के विवरण जैसी महत्वपूर्ण जानकारी को शामिल करना था। इसमें मांग और प्रतिदाय, कम्पोजीशन करदाताओं से प्राप्त आपूर्ति और जावक और आवक आपूर्ति के एचएसएन वार सारांश जैसी अन्य जानकारी भी है।

जीएसटीआर-2 और 3 को रोकने से वार्षिक विवरणी दाखिल करने की प्रक्रिया जटिल बन गई है क्योंकि जीएसटीआर-2ए और 3बी से बहुत सीमित डेटा वार्षिक विवरणी को स्वयं तैयार करेगा। करदाताओं को वार्षिक विवरणी को अंतिम रूप देने से पहले जीएसटीआर-1 में उपलब्ध डेटा को अपने जीएसटीआर-3बी के साथ मिलान करना होगा।

मूल रूप से जीएसटी अधिनियम में यह परिकल्पना की गई थी कि एक वित्तीय वर्ष से संबंधित वार्षिक विवरणी आगामी 31 दिसम्बर तक दाखिल किया जाएगा। वर्ष 2017-18 की वार्षिक वापसी की नियत तारीख समय-समय पर बढ़ाई गई है और अंतिम तिथि 31 अगस्त 2019 तक बढ़ा दी गई है।

जीएसटी कानून में यह परिकल्पना की गई थी कि मासिक विवरणी में किसी भी बेमेल क्रेडिट को वित्तीय वर्ष के सितम्बर के महीने के लिए वार्षिक विवरणी दाखिल करने या विवरणी दाखिल करने तक, जो पहले हो, ही सुधारा जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2017-18 से संबंधित बीजक पर आईटीसी का दावा करने की अंतिम तिथि मूल रूप से वित्तीय वर्ष के सितम्बर महीने या वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करना, जो भी पहले हो था। इस प्रकार, समय विस्तार के साथ, आईटीसी के उपयोग के साथ-साथ 2017-18 के विवरणी को अंतिम रूप देने के लिए खुला रखा गया है।

- **अपूर्ण आईजीएसटी निपटान**

‘स्टॉप गैप’ व्यवस्था के रूप में शुरू की गई, जीएसटीआर 3बी में, सारांश विवरणी होने के कारण, में आईजीएसटी निपटान या विभाजन के लिए आवश्यक सभी विवरण प्राप्त नहीं किए जा सके। इसे जीएसटीएन के आईटी लेखा परीक्षा के निष्कर्षों में विस्तारित किया गया है (अध्याय III के पैराग्राफ 3.22 का संदर्भ लें)।

जब हमने जीएसटी विवरणी तंत्र में प्रमुख पहलुओं के अभाव को इंगित किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रणाली अभी भी (मार्च 2019) बनने की प्रक्रिया में है, मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2019) कि व्यापार और उद्योग को नई व्यवस्था में समायोजित करने के लिए और अधिक समय देने के लिए जीएसटी परिषद ने बीजक मिलान से रियायत देने जैसे कदम उठाने की सिफारिश की है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि सरकार ने डेटा विश्लेषकों और व्यापार आसूचना (बीआई) उपकरणों के माध्यम से राजस्व रिसावों को रोकने के लिए वैकल्पिक तंत्र शुरू किए हैं। यद्यपि मंत्रालय ने यह माना है कि व्यापार और उद्योग की कठिनाइयों के कारण स्व-सुधार प्रणाली के रूप में परिकल्पित इस प्रणाली को ठीक किया जा रहा था।

इस प्रकार, जैसा कि मूल रूप से परिकल्पना की गई थी, स्व-सुधार प्रणाली नहीं थी और इसके परिणामस्वरूप आईटी आधारित इंटरफ़ेस की अपेक्षा परिहार्य निर्धारिती कर अधिकारी मूर्त इंटरफ़ेस को जारी रखा गया। अगर पूरी तरह से समाप्त नहीं है तो भी यह परिहार्य भौतिक इंटरफ़ेस को कम करने के उद्देश्य के विपरीत है।

(च) अन्य परिकल्पित स्व-शासित तंत्र

- **अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा आपूर्तियों के लिए विपरित प्रभार तंत्र का गैर-कार्यान्वयन**

सामान्यतः माल या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। हालांकि, निर्दिष्ट मामलों में, कर भुगतान करने का दायित्व आपूर्तिकर्ता की अपेक्षा माल या सेवाओं के प्राप्तकर्ता को होता है, जिसे विपरित प्रभार कहा जाता है। जीएसटी अधिनियमों में यह प्रावधान है कि जहां भी एक पंजीकृत व्यक्ति एक अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से आपूर्ति की खरीद करता है, पंजीकृत व्यक्ति को विपरित प्रभार के आधार पर जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है।

प्रारंभ⁷ में (जून 2017) एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा या एक दिन में पांच हजार रुपये तक सभी अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त आपूर्ति को विपरित प्रभार से छूट दी गई है। तथापि, सभी श्रेणियों के पंजीकृत व्यक्तियों को शुरू में 31 मार्च 2018 तक अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा आपूर्ति पर विपरित प्रभार के प्रावधानों से छूट (अक्टूबर 2017) दी गई थी। इस तरह की छूट⁸ को समय-समय पर 30 जून 2018 तक, 30 सितंबर 2018 तक और अंत में 30 सितंबर 2019 तक बढ़ा⁹ दिया गया था।

आरसीएम को शुरू करने के औचित्य और इस प्रणाली में आगे परिवर्तन किए जाने से पहले इसके बाद स्थगित करने के प्रभाव की जांच की आवश्यकता है।

- **स्रोत पर कर कटौती**

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 51, सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकरण और सरकारी एजेंसियों द्वारा स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के लिए प्रदान की गई है। टीडीएस ₹ 2.5 लाख से अधिक के भुगतान के लिए लागू है।

⁷ अधिसूचना सं.8/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून 2017।

⁸ अधिसूचना सं.38/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 13 अक्टूबर 2017, (आईजीएसटी अधिसूचना सं.32/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 13 अक्टूबर 2017।

⁹ अधिसूचना सं. 10/2018-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 23 मार्च 2018, संख्या 12/2018-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 29 जून 2018 और सं.22/2018-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 6 अगस्त 2018।

टीडीएस प्रावधानों को समय-समय पर स्थगित कर दिया गया था। इस स्थगन के कारण, जैसा कि 18वीं जीएसटी परिषद की बैठक कार्यवृत्तों में उल्लेख किया गया है, टीडीएस को घटाने के लिए सरकारी एजेंसियों की तैयारी की कमी थी और संबंधित राज्यों के निपटान तंत्र को निधि से जोड़ने के लिए टीडीएस की आवश्यकता थी। यह भी बताया गया था कि चूंकि जीएसटीआर-2 दायर नहीं किया जा रहा था, इसलिए टीडीएस लाभ करदाता को नहीं दिया जा सका।

टीडीएस प्रावधानों को अंततः 1 अक्टूबर 2018 से लागू कर दिया गया। कर कटौतिकर्ताओं को आने वाले महीने की 10 तारीख तक विवरणी दाखिल करना था। हालांकि, अक्टूबर 2018 से दिसंबर 2018 के महीनों के लिए इस विवरणी की नियत तिथि को 31 जनवरी 2019 तक बढ़ा¹⁰ दिया गया था जिसमें कहा गया था कि कुछ ऑपरेटर जीएसटी पोर्टल पर उनके सामने आ रही तकनीकी समस्याओं के कारण पंजीकरण प्राप्त करने में असमर्थ थे।

कम से कम जहां सरकार को आपूर्ति की गई थी वहां टीडीएस डेटा का उपयोग आपूर्तिकर्ताओं के टर्नओवर जानने के लिए किया जा सकता है, और इस प्रकार, गैर-रजिस्ट्रार और कर चोरी करने वालों की पहचान की जा सकती है। सामने आ रही गड़बड़ियों और इस तथ्य को देखते हुए कि कर संग्रहण कर विभाग का कार्य है और न की सभी सरकारी विभागों का, यह सिफारिश की जाती है कि सरकार टीडीएस के कार्यान्वयन की समीक्षा करे और जो कुछ भी टीडीएस के माध्यम से प्राप्त करने की अपेक्षा है उसे प्राप्त करने के वैकल्पिक तरीकों पर विचार करें। उदाहरण के लिए, सरकार को परामर्श और अन्य सेवाएं प्रदान करने वाले बोलीदाता के लिए सेवा कर पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया जाता था। इसी प्रकार सरकार को एक निश्चित सीमा से अधिक वस्तुओं या सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए, जीएसटी पंजीकरण को अनिवार्य बनाकर, सरकारी विभागों द्वारा अपने आपूर्तिकर्ताओं को और इसी तरह के तरीकों के लिए किए गए भुगतानों के अन्य आंकड़ों का वास्तविक समय विश्लेषण जिनकी सरकार पहचान कर सकती है, वे टीडीएस की इस पूरी प्रक्रिया के रूप में समान उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं।

¹⁰ आदेश सं.4/2018-केन्द्रीय कर दिनांक 31 दिसंबर 2018।

(छ) आंशिक रूप से जीएसटी पोर्टल को आरंभ करना

परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए, जीएसटीएन ने परियोजना प्रबंधन योजना तैयार की जिसमें कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा के साथ विभिन्न उपयोग मामले¹¹ और विभिन्न मॉड्यूल की कार्यक्षमताओं की योजना बनाई गई थी। जीएसटी पोर्टल के कार्यान्वयन को तीन चरणों में लागू करने की परिकल्पना की गई थी, जैसा कि नीचे चर्चा की गई थी।

चरण-I

चरण-I में करदाता पंजीकरण, करदाता पंजीकरण अनुमोदन, बीजक अपलोड, भुगतान, विवरणी, इनपुट क्रेडिट सामंजस्य, आईजीएसटी निपटान, एमआईएस रिपोर्ट, तंत्र व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और सहायता डेस्क शामिल थे।

सॉफ्टवेयर आवश्यकता निर्दिष्टीकरण (एसआरएस) में परिकल्पित परियोजना के इस चरण के लिए कार्यान्वयन को शुरू में 184 उपयोग मामलों में वर्गीकृत किया गया था, जिन्हें जनवरी 2017 से अगस्त 2017 तक की अवधि में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि, 1 जुलाई 2017 तक जीएसटी आरंभ करने के समय पर चरण-I की केवल 35 कार्यक्षमताएं उत्पादित वातावरण में थीं। 184 उपयोग मामलों में से जनवरी 2019 तक 25 उपयोग मामले उत्पादन में नहीं थे। जीएसटीएन ने सूचित किया (जनवरी 2019) कि इन 25 उपयोग मामलों में से 12 को छोड़ दिया गया था, 11 को चरण-II में स्थानांतरित कर दिया गया था और वार्षिक विवरणी (सितंबर 2018 में अधिसूचित प्रपत्र) से संबंधित दो मामले प्रक्रियाधीन थे। छोड़े गये उपयोग मामले मुख्य रूप से जीएसटीआर-3 विवरणी (स्थगित किय गये) से संबंधित थे और जो कानून/नियमों में परिवर्तन के कारण अनावश्यक हो गए थे।

चरण-II

चरण-II में निर्धारण, प्रतिदाय, निर्णय और याचिका, लेखा परीक्षा और जांच, वसूली और बड़े खाते में डालना (27 राज्यों/केंद्र शा. प्रदेश) शामिल थे।

¹¹ उपयोग का मामला उन कार्रवाइयों या ईवेंट चरणों की सूची होती है, जो आमतौर पर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भूमिका और सिस्टम के बीच होने वाले इंटरैक्शन को परिभाषित करते हैं।

जनवरी 2017 से मार्च 2019 तक की अवधि में इस चरण की विभिन्न कार्यक्षमताओं को कवर करने वाले कुल 122 उपयोग मामलों को प्रयोक्ता स्वीकृति परीक्षण¹² (यूएटी) व्यवहार में लेने की योजना बनाई गई थी। तथापि, इन अधिकांश मॉड्यूल के लिए एसआरएस, जनवरी और सितंबर 2018 के बीच बंद कर दिए गए थे और दो मॉड्यूल के एसआरएस (एमआईएस और लेखा परीक्षा) अभी बंद किए जाने थे। इस चरण के 103 उपयोग मामलों को अक्टूबर 2018 तक यूएटी व्यवहार में लिया जाना था। तथापि, हमने देखा कि जनवरी 2019 तक केवल 87 उपयोग मामलों को कार्यान्वित किया गया था।

इन विलंब का जीएसटी के कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ा जो नीचे दिए गए विवरण के रूप में प्रतिदाय मॉड्यूल के मामले में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है:-

भारत से बाहर माल के निर्यात पर भुगतान किए गए आईजीएसटी के प्रतिदाय के लिए मॉड्यूल, सीमा शुल्क आईटी प्रणाली और जीएसटी पोर्टल के बीच लिंकेज सितंबर-अक्टूबर 2017 के दौरान प्रदान किया गया था। लेकिन प्रतिदाय की अन्य श्रेणियों के लिए, यह मूल रूप से परिकल्पना की गई थी कि करदाता जीएसटी पोर्टल पर प्रतिदाय आवेदन दाखिल करेगा, दाखिल किया गया आवेदन ऑनलाइन कर अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा और प्रतिदाय की पूरी प्रक्रिया स्वचालित होगी। हालांकि, चूंकि जीएसटी पोर्टल पर प्रतिदाय मॉड्यूल उपलब्ध नहीं कराया गया था, यह निर्णय लिया गया था (अक्टूबर 2017) कि प्रतिदाय दावे से संबंधित आवेदन दाखिल किया जाना चाहिए और हस्तगत रूप से संसाधित किया जाना चाहिए। इसलिए, एक फेसलैस आईटी इंटरफेस की अपेक्षा कर अधिकारी के साथ परिहार्य इंटरफेस की आवश्यकता दर्शाते हुए, जीएसटी पोर्टल पर प्रतिदाय आवेदन फाइल करने के लिए करदाताओं के लिए और मैन्युअल प्रोसेसिंग के लिए क्षेत्राधिकार कर अधिकारी को प्रिंट आउट लेने को सुविधाजनक बनाने के लिए एक कार्यक्षमता आरएफडी-01ए विकसित करके एक वैकल्पिक हल बनाया जिससे हस्तक्षेप रहित ई-कर प्रणाली होने के वास्तविक उद्देश्य विफल हो गये।

¹² यूएटी सॉफ्टवेयर परीक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण है। यूएटी के दौरान, आभासी सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए सॉफ्टवेयर का परीक्षण, विनिर्देशों के अनुसार वास्तविक दुनिया परिदृश्यों में आवश्यक कार्यों की संभाल कर सकते हैं।

प्रतिदाय आवेदन जो मूल रूप से परिकल्पित कर अधिकारी को ऑनलाइन स्थानांतरित किया जा सकता है, अक्टूबर 2017 में और अगस्त से अक्टूबर 2018 के दौरान शेष सात श्रेणियों¹³ के लिए प्रतिदाय (जैसे सेवाओं का निर्यात-कर के भुगतान के साथ) एक श्रेणी के लिए जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया था। **प्रतिदाय की ऑनलाइन प्रक्रिया से संबंधित बैंक ऑफिस मॉड्यूल तैयार नहीं था (मई 2018)।**

जीएसटीएन के चरणवार कार्यान्वयन योजना के अनुसार, प्रतिदाय के महत्वपूर्ण मॉड्यूल की योजना मूल रूप से चरण-II के लिए बनाई गई थी। जीएसटी परिषद की सिफारिश और भारत सरकार के निर्देशों पर प्रतिदाय कार्यप्रणाली पर काम पहले चरण के साथ शुरू किया गया था। चूँकि मॉड्यूल तैयार नहीं था, तथापि, प्रतिदाय का मैनुअल प्रसंस्करण जारी था।

स्वतः चालित प्रतिदाय आवेदन जोकि कर अधिकारी को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाता, उसे अधिकतर मामलों में जीएसटी के लागू होने के एक वर्ष बाद भी आरंभ किया गया था, जबकि माल के आयात पर भुगतान किये गये आईजीएसटी प्रतिदाय को छोड़कर प्रतिदाय की प्रक्रिया अभी भी हस्तगत रूप से की जा रही है। इसने प्रतिदाय माड्यूल की दोषपूर्ण योजना को दर्शाया है।

चरण-III

चरण-III में बीआई, प्रबंधन डैशबोर्ड और डायनामिक रिपोर्टिंग शामिल थी।

जीएसटीएन के प्रबंधित सेवा प्रदाता मैसर्स इन्फोसिस को सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर 50 बीआई रिपोर्टें प्रदान करनी थीं जिन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और सीबीआईसी से 500 प्रयोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाना था। ये रिपोर्टें

¹³ (i) इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता बही में अतिरिक्त शेष राशि, (ii) कर के भुगतान के बिना माल/सेवाओं का निर्यात, अर्थात्, आईटीसी संचयन, (iii) कर निर्धारण/अनंतिम निर्धारण/अपील/अपील/किसी अन्य आदेश के कारण, (iv) विपरीत कर संरचना के कारण संचित आईटीसी, (v) एसईजेड यूनिट/एसईजेड डेवलपर (कर के भुगतान के साथ) को की गई आपूर्ति के कारण, (vi) एसईजेड इकाई/एसईजेड डेवलपर (कर के भुगतान के बिना) और (vii) एक अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर भुगतान किए गए कर के कारण जो बाद में अंतर-राज्यीय आपूर्ति और इसके विपरीत (पीओएस का परिवर्तन) माना जाता है।

डेटाबेस में विसंगतियों की पहचान के लिए विवरणी, पंजीकरण, भुगतान और ई-वे बिल डेटा के विश्लेषण पर आधारित थीं और जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी ई-वे बिल डेटा जैसे आईटीसी बेमेल और अन्य विसंगतियों का पता लगाने के लिए डेटा की तुलना की जा सके। प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) के अनुसार, रिपोर्टों की आवश्यकता के आधार पर बीआई की निष्पादन योजना को अंतिम रूप दिया जाना था। जीएसटीएन अक्टूबर 2018 तक आवश्यक बीआई रिपोर्टों की पहचान करने की प्रक्रिया में था और इसलिए, निष्पादन योजना केवल तैयारी चरण के तहत थी, कार्यान्वयन के लिए किसी समय-सीमा को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

जीएसटी पोर्टल को आंशिक रूप से आरंभ करने के लिए जीएसटीएन की प्रतिक्रिया और हमारी टिप्पणियां

जब हमने (नवंबर 2018) जीएसटी पोर्टल के चरण-वार कार्यान्वयन की स्थिति का उल्लेख किया, जीएसटीएन ने कहा (जनवरी 2019) कि जीएसटी जुलाई 2017 से शुरू किया जाना था और दिसंबर 2016 में एसआरएस के खत्म करने के बाद परिवर्तन किए गए थे। इसलिए, चरण-1 की कार्यप्रणालियों के कार्यान्वयन को पुनः प्राथमिकता दी गई थी। नियमों, अधिसूचनाओं और जीएसटी परिषद के निर्णयों में लगातार बदलावों के मद्देनजर चरण-1 और ॥ दोनों के लिए परिवर्तन अनुरोध (सीआर) की योजना बनाई गई थी और जीएसटी पोर्टल में निरंतर आधार पर लागू किया गया था।

जीएसटीएन का उत्तर अग्रिलिखित तथ्यों के मद्देनजर देखा जाना चाहिए:-

- i. जहां तक वित्त पोषण और मानव संसाधन क्षमता का संबंध है, कोई अपर्याप्तता नहीं थी।
- ii. नियमों, प्रारूपों में तीव्र और पुनरावर्ती परिवर्तनों हेतु गुजाईश और आईटी प्रणाली सक्षम बनाने में परिणामी परिवर्तनों की अपेक्षा थी और जीएसटी व्यवस्था की वर्तमान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का सुगम पारगमन सुनिश्चित करने के लिए परियोजना संचालन प्रणाली में ध्यान रखा जाना चाहिए था।
- iii. कार्यान्वित प्रणालियों में और उसके बाद किए गए परिवर्तनों में भी कमियां देखी गई थीं जैसा कि इस रिपोर्ट के अध्याय-॥ में सुचित किए गए 'जीएसटीएन की आईटी लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से देखा जा सकता

है। जीएसटीएन द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की सूचना दिए जाने के बाद भी इस लेखा परीक्षा द्वारा बताई गई कमियां कुछ मामलों में दूर नहीं की गई।

- iv. जीएसटीएन प्रबंधन को जीएसटी परिषद/सरकार द्वारा दी गई गतिविधियों के लिए व्यापक समय-सीमा के भीतर कार्यात्मकता के कार्यान्वयन के लिए अपनी स्वयं की समय-सीमा तय करने की स्वतंत्रता दी गई थी।

जीएसटीएन ने डीओआर (जून 2019) द्वारा समर्थित अपने जवाब में कहा कि, आईटी बिजनेस प्रक्रियाओं के पंजीकरण, भुगतान और विवरणी की तैयारी प्रारूप व्यवसाय प्रक्रिया दस्तावेज और मॉडल जीएसटी अधिनियमों के आधार पर शुरू की गई थी, जो अप्रैल से अक्टूबर 2015 और जून 2016 के दौरान प्रदान की गई थी। इसके बाद, जीएसटी नियम दिसंबर 2016 और जनवरी 2017 में सार्वजनिक ज्ञानक्षेत्र में दर्शाये गए थे। ये पूर्ण नियम नहीं थे और इसे जनता की टिप्पणियों के लिए प्रकाशित किया गया था। करदाताओं और कर सलाहकारों और अन्य हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद, इन नियमों में परिवर्तन किये गये थे। इसलिए, 2015 और जून 2016 में प्रदान की गई प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन अपरिहार्य थे। यद्यपि जीएसटीएन ने उचित योजना और निगरानी तंत्र तैयार किया था, तब भी, कानून और नियमों की विकसित प्रकृति के कारण योजना में संशोधन किया गया है।

यह भी कहा गया था कि उन्होंने एक जटिल जीएसटी प्रणाली की आईटी प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है और कर विभागों, बैंकों, लेखा अधिकारियों और अन्य हितधारकों की विभिन्न प्रणालियों के साथ एकीकृत किया है।

लेखापरीक्षा का मानना है कि जीएसटी के रूप में जटिल प्रणाली के लिए देरी और परिवर्तन पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं हैं। जीएसटीएन संगठन विशेष रूप से मार्च 2013 में जीएसटी के लिए आईटी दृढ़ता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया था और जीएसटी को मूल रूप से आरंभ करने से चार साल पहले से अस्तित्व में है। इसलिए यह माना जाएगा कि वे इस विशाल कर सुधार के लिए तैयारी कर रहे थे। **जीएसटीएन का अधिनियम/नियम प्रावधानों में लगातार परिवर्तन प्रणाली के विकास में देरी को कारण बताने से यह संकेत**

मिला कि जीएसटी की उभरती प्रकृति परियोजना प्रबंधन में कारक नहीं थी। जीएसटी प्रतिदाय को रोकने के कारण करदाताओं, विशेष रूप से निर्यातकों को नुकसान उठाना पड़ा, जो प्रतिदाय मॉड्यूल की दोषपूर्ण योजना के कारण था।

प्रणाली की दक्षता इसके विकास में शामिल सभी हितधारकों की संयुक्त जिम्मेदारी है। जीएसटी के कार्यान्वयन और प्रगति की भी नियमित रूप से डीओआर द्वारा निगरानी की जा रही थी, जिसे जीएसटी आरंभ करने के लिए समय-सीमा के बारे में जानकारी थी। प्रणाली की अक्षमताओं से पता चलता है कि वह न केवल सिस्टम डिजाइन में विफल थी बल्कि जीएसटीएन द्वारा इसका परीक्षण और अखिल भारत में प्रारंभ करने से पहले कर विभागों द्वारा स्वीकृति में भी विफल थी। इस प्रकार, जिस कार्यपालिका ने विकसित प्रणाली का समर्थन किया है, वह सामने आ रही समस्याओं के लिए समान रूप से जवाबदेह है।

1.6.3 निष्कर्ष और सिफारिशें:

भारत में जीएसटी का कार्यान्वयन शायद दुनिया में सबसे बड़ा कर सुधार है और केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, डीओआर, सीबीआईसी, जीएसटीएन व वह व्यवसाय जो तैयार थे, सम्मिलित सभी हितधारकों द्वारा किए जा रहे प्रयास जो इसे सम्भव बना रही है, सराहनीय है। जीएसटी के आगमन ने वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक आम राष्ट्रीय बाजार प्रदान किया है और जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए कुछ वस्तुओं/क्षेत्रों को छोड़कर सभी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की मूल्य श्रृंखला में आईटीसी प्रदान करके कर सौपान को कम करने का मार्ग प्रशस्त किया है। जीएसटी ने देश भर में कर दरों के साथ-साथ पंजीकरण फॉर्म, प्रतिदाय और बीजक के प्रारूपों में एकरूपता को बढ़ाया है। ई-वे बिलों ने अधिकतर मानवीय चेक पोस्टों को बदल दिया है।

एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां सरकार पूरी क्षमता से जीएसटी प्रारंभ करने में सक्षम नहीं है, वहां सरलीकृत कर अनुपालन व्यवस्था है। नीचे दी गई चार्ट सं. 4 दर्शाता है कि जीएसटी फ्रंट में क्या हुआ और यह जीएसटी कर अनुपालन प्रणाली को कैसे प्रभावित करता है:

चार्ट सं.4: जीएसटी अनुपालन



विवरणी तंत्र की जटिलता और तकनीकी गड़बड़ियों के परिणामस्वरूप जीएसटी विवरणी (जीएसटीआर-1, 2 और 3) का उपयोग करते हुए, बीजक मिलान के आधार पर मूल रूप से परिकल्पित सिस्टम-सत्यापित आईटीसी को रोक दिया गया। सारांश स्व-मूल्यांकन जीएसटीआर-3बी विवरणी, एक 'स्टॉप गैप' उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार आज की प्रचलित प्रणाली बीजक की एक आईटी आधारित जाँच के बिना एक असत्यापित प्रतिदाय है, और इससे आईटीसी धोखाधड़ी की संभावना है। स्व-सुधार प्रणाली, जैसा कि मूल रूप से परिकल्पित है, स्थापित नहीं है और इससे आईटी आधारित इंटरफेस के बजाय परिहार्य निर्धारित-कर अधिकारी भौतिक इंटरफेस को जारी रखने का कारण है। बीजक मिलान और प्रतिदाय, आकलनों आदि के स्व-जनन के बिना, परिकल्पित जीएसटी कर अनुपालन प्रणाली गैर-कार्यात्मक है।

राज्यों को आईजीएसटी का निपटान भी प्रभावित होता है क्योंकि आईजीएसटी निपटान रिपोर्ट विवरणी से प्राप्त डेटा और अपील और प्रतिदाय जैसे मॉड्यूल से भी जुड़ी हुई थी।

कुल मिलाकर, जब एक प्रमुख प्रणाली परिवर्तन आरंभ होने वाला था और कुछ समय से विचार किया जा रहा था, यह अपेक्षा की गई थी कि इस परिवर्तन को संभव बनाने के लिए पर्याप्त प्रयास किये गये होंगे। यह समझा जाता है कि अखिल-भारतीय प्रभाव के साथ कर प्रशासन में एक बड़े परिवर्तन में कुछ प्रारंभिक समस्याएं हो सकती हैं। अब किए जाने वाले परिवर्तनों की सीमा,

प्रणाली के प्रमुख पहलुओं के निरस्तीकरण के साथ-साथ, हालांकि, डीओआर, सीबीआईसी और जीएसटीएन जैसे हितधारकों के बीच अपर्याप्त समन्वय के साथ-साथ प्रारंभ करने से पहले पर्याप्त रूप से प्रणाली की कोशिश करने में विफलता को दर्शाती है। जीएसटी पोर्टल, जहां तक कार्यान्वित है, जीएसटी अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के साथ पूरी तरह से संरेखित नहीं था और इस प्रतिवेदन के अध्याय III में कुछ क्षेत्रों में परिचालन की कमी और सिस्टम डिजाइन की कमी से भरा था जैसा कि हमारे आईटी लेखापरीक्षा निष्कर्षों में बताया गया, बताया गया है।

कर के भुगतान और निपटान की प्रणाली जो जीएसटी के लिए परिकल्पित थी, वह एक सौ प्रतिशत बीजक-मिलान और इनपुट कर क्रेडिट का लाभ उठाने साथ ही बीजक मिलान के आधार पर आईजीएसटी के निपटान पर आधारित थी। दोनों में से अभी तक कुछ भी संभव नहीं है चूंकि बीजक मिलान प्रणाली को शुरू नहीं किया गया है। इस प्रतिवेदन में बीजक मिलान की महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में पहचान की गयी है जिससे इस प्रमुख कर सुधार के पूरे लाभ प्राप्त होंगे। यह केन्द्र और राज्य दोनों के कर राजस्व की रक्षा करेगा, यह आईजीएसटी के उचित निपटान की ओर अग्रसर करेगा, भले ही समाप्त न करे, परन्तु कर अधिकारी करदाता प्रासंग में कमी लाएगा। वास्तव में मानवीय प्रणाली में समझा जाने वाला 'मूल्यांकन' भी आगे आवश्यक नहीं होगा (विवरणियां स्वयं ही एक ऐसी प्रणाली से तैयार की जा सकती हैं जो बीजकों का मिलान करती हों) और अपवंचन आदि के मामलों को, विशाल डेटा, जो करोड़ों बीजकों से उत्पन्न होता है, का विश्लेषणात्मक उपकरणों और एआई लागू कर के पता लगाया जा सकता है।